35

संख्या– 317 / VI-2/2016–51(6)14

प्रेषक,

शैलेश बगौली
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग **देहरादून दिनांक 30 मई, 2016**

विषय :– टिहरी मुख्यालय के बौराड़ी स्थल पर त्रेपन सिंह नेगी, राज्य स्तरीय युवा कल्याण केन्द्र के निर्माण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–119/दो–लेखा–बजट/2016–17 दिनांक 26.04.16 तथा पत्र संख्या–198/दो–लेखा–बजट/2016–17 दिनांक 16.05.16 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टिहरी मुख्यालय के बौराड़ी स्थल पर त्रेपन सिंह नेगी, राज्य स्तरीय युवा कल्याण केन्द्र के निर्माण कार्य के लिये कार्यदायी संस्था के द्वारा फेज–1 एवं फेज–2 के लिये प्रस्तुत आगणन **₹ 1291.88** लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा फेज–1 के कार्यों के परीक्षणोपरान्त संस्तुत **₹ 645.67 लाख** (सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 501.74 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 143.93 लाख) के सापेक्ष शासनादेश संख्या–212/VI-2/2015–51(6)14 दिनांक 31.03.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या–419/VI-2/2015–51(6)14 दिनांक 06.07.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या–766/VI-2/2015–51(6)14 टी0सी0 दिनांक 15.12.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में तृतीय किश्त के रूप में रू0 300.00 लाख उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये अध्यादेश संख्या–उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश संख्या–02, 2016 दिनांक 21.03.16 के माध्यम से अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2204 के आयोजनागत पक्ष के संगत मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 66.67 लाख (₹ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र) के सापेक्ष इतनी ही धनराशि ***चतुर्थ किश्त*** के रूप में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का धनावंटन कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम0ओ0यू0 में वर्णित समय सारणी के आधार पर किया जाए।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 तथा शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. मितव्ययी मदो में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

5. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

C:\Users\lenovo\Rahul-2015-16 -\Youth Welfare\G.O..doc

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

13. प्रथम चरण के कार्यो हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में करायी गयी डिजाइन/मानक-पूर्णरूप से अथवा आंशित रूप से विषयगत कार्यो हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये अध्यादेश संख्या-उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश संख्या-02, 2016 दिनांक 21.03.16 के माध्यम से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक** 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-22-त्रेपन सिंह नेगी, राज्यस्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य के मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्या 317 **/VI-2/2016-51(6)14, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. यू0पी0आर0एन0एन0।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

C:\Users\lenovo\Rahul-2015-16-A\Youth Welfare\G.O. doc